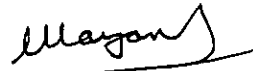


विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित

डा० मान सिंह यादव, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये

अतारांकित प्रश्न संख्या-20 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि वित्त विभाग के वै०आ०सं०-2-433/दस-2005-44-2001टी०सी० द्वारा प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग संवर्गीय पुनर्गठन करने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं?	हाँ।
(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के पैरा नं०-2 में वाहन चालकों का एकीकृत संवर्ग बनाने की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है?	हाँ, आदेश के पैरा नं०-02 में जो वाहन चालक संवर्ग का एकीकृत संवर्ग बनाये जाने की व्यवस्था है वह शासन के किसी प्रशासकीय विभाग में संचालित एक ही विभागाध्यक्ष कार्यालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के वाहन चालक संवर्गों के एकीकरण से संबंधित है। यह शासन के किसी एक प्रशासकीय विभाग में संचालित विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के वाहन चालक संवर्गों के एकीकरण से संबंधित नहीं है। उक्त आदेश के पैरा-2 की व्यवस्थानुसार एक ही विभागाध्यक्ष कार्यालय/नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन वाहन चालक का जिला कार्यालय, मण्डल कार्यालय एवं मुख्यालय का अलग-अलग संवर्ग होने तथा प्रत्येक संवर्ग में पदों की संख्या कम होने पर वाहन चालक का एकीकृत संवर्ग बनाया जा सकता है।
(ग) क्या वित्त विभाग के अधीन निदेशालयों में वाहन चालकों के कहीं एक पद तो कहीं दो पद तथा कहीं तीन पद या चार पद हैं, परन्तु उन्हें एकीकृत कर संवर्ग नहीं बनाया गया है?	
(घ) क्या विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के वाहन चालकों को उपरोक्त मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्रदान कराने हेतु एकीकृत संवर्ग बनवायेंगे?	
(ङ.) यदि हां, तो कब तक?	
(च) यदि नहीं, तो क्यों?	



(मयंकेश्वर शरण सिंह)
राज्यमंत्री,
संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा
स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ
एवं शिशु कल्याण, च०प्र०।

(सुरेश खन्ना)
वित्त मंत्री।